न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.
राजस्व अपील :: 110/2017 ::

अपीलांटगण :-	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
श्रीमती गट्टु पुत्री खेतलाजी पत्नी बाबूलाल उम्र 50 वर्ष जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी जाखा नगर, सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)		1. खीमा पुत्र श्री खेता के कायम मुकाम 1/1 वकतु पत्नी खीमा 1/2 गुडीया पुत्री खीमा 1/3 मंजु पुत्री खीमा 2. रूपा पुत्र खेता के कायम मुकाम 2/1 मांगीलाल पुत्र रूपा 2/2 पाबु पत्नी रूपा जातिगण मेघवाल (मेघवंशी) निवासीगण साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.) 3. सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी सुमेरपुर (राज.) 4. ककु पुत्री खेताजी पत्नी जेठाजी, जाति मेघवाल, निवासी फालना गांव, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-
अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री दीपाराम परमार व रामलाल भाटी
रेस्पोडेण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुमावत

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 10-4-2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 30.05.1992 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टगण सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम साण्डेराव, पटवार हल्का साण्डेराव प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 15/2421 रकबा1.61 हैक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पिता खेता पुत्र केसा के नाम खातेदारी भूमि स्थित है। खेता की मृत्यु के पश्चात तहसीलदार सुमेरपुर ने जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 30.05. 1992 रेस्पो. सं. 1 व 2 खीमा व रूपा के नाम भर दिया जो की विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज है। जबकि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 4 रेस्पो. संख्या 1 व 2 के सगी बहने होने से स्व. खेता की विधिक वारिश है। रेस्पों. स. 1 व 2 के वारिसानों ने राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अंधेरे में रखते हुए स्व. खेता पुत्र केसा के तौर पर खीमा व रूपा को जरिये नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 30.05.1992 के दर्ज कर दिया एवं सगी बहनों गट्टु एवं कंकु का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया जिससे अपीलाण्ट अपने हक अधिकारों से महरूम हो गई। तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा खेता के विधिक वारिशान की बिना जांच किए व बिना सुनवाई का नोटिस दिए तथा बिना साक्ष्य सबूत पेश किए जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 30.05.1992 स्वीकृत कर दिया गया है जो काबिल खारिज है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश.....2

हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार मृत खेता पुत्र केसा की चल व अचल सम्पति में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 4 बतौर वैध वारिसान के हकदार थी जिसे नामान्तरकरण में भरते समय खेता के वारिशान के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। उपरोक्त नामान्तरकरण बाबत अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी 04.08.2017 को हुई। जब अतिवृष्टि होने के कारण अपनी कृषी भूमी पर मिलने वाले मुआवजे की राशि हेतु पटवार हल्का के पास गई तो पटवारी हल्का से सर्वप्रथम जानकारी हुई। फिर दिनांक 09.08.2017 को तहसील सुमेरपुर से नकलें प्राप्त कर वकील से मिलकर 30.08.2017 को अपील पेश की गई। अपील में हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावें।

वकील रेस्पोडेण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट गट्टु पुत्री खेताजी पत्नी बाबूलाल मेघवाल निवासी जाखानगर तहसील सुमेरपुर व रेस्पो. संख्या 4 कंकू पुत्री खेताजी पत्नी जेठाजी निवासी फालना गांव दोनों खेताजी की जायन्दा पुत्रियां है एवं खेताराम की मृत्युपरान्त जो नामान्तरकरण स. 279 दिनांक 30.05.1992 भरा गया जिसमें खेताराम के वारिशान के रूप में मात्र दोनों पुत्र खीमा व रूपा के नाम ही नामान्तरकरण भरा गया। खेताराम की दो पुत्रियां अपीलाण्ट गट्टु व रेस्पा. सं. 4 कंकू के नाम जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया है एवं अगर इनका नाम इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में किया जाता है तो उनको कोई एतराज नहीं है। लिहाजा जैर अपील नामान्तरकरण सं. 279 दिनांक 30.05.1992 खारिज कराया जाकर तहसीलदार सुमेरपुर को रिमाण्ड करा दिया जावे इसके लिए सभी रेस्पोडेण्टगण सहमत है।

बहस सुनी गई जैर अपील नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट एवं रेस्पो.सं. 4 के हक अधिकारों का प्रश्न है एवं जहां हक अधिकारों का प्रश्न हो वहां म्याद के बिन्दु को गौण मानना ही न्यायोचित होने से अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेटगण के अधिवक्तागण इस बात से सहमत है कि अपीलाण्ट गट्टु व रेस्पो. सं. 4 कंकू खेता पुत्र केसा की जायन्दा पुत्रियां है एवं खीमा व रूपा पुत्रगण खेता की सगी बहने है तथा इनका नाम बतौर विधिक वारिशान के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना विधिक भूल है एवं इससे यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्व. खेता पुत्र केसा के विधिक वारिशान की जांच नहीं की गई व न ही सुनवाई की गई इसलिए खेता पुत्र केसा की पुत्रियां गट्टुदेवी व कंकूदेवी का नाम जैर अपील नामान्तरकरण में इन्द्राज नहीं हुआ है। जो न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट उभयपक्ष सहमत होने से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 30.05.1992 ग्राम साण्डेराव पटवार हल्का साण्डेराव तहसील सुमेरपुर को अपास्त किया जाता है एवं इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. खेता पुत्र केसा जाति मेघवाल निवासी साण्डेराव के समस्त विधिक वारिशान की बाद जांच एवं सुनवाई के विधिक वारिशान के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ मूल नामान्तरकण तहसीलदार सुमेरपुर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली